



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्गअनुमोदनसं.:876कासंशोधन सहित नवीकरण/**

**Amendment - cum Renewal of Type Approval No.: 876**

**विषय / Sub: एवियेशन टर्बाइन फ्यूल केरोसिन टाइप (के-50)**

**Aviation Turbine Fuel Kerosene Type (K-50)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी-9, अली यवर जंग मार्ग, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400 051, उनके पानिपत रिफाइनरी, पानिपत - 132 140 द्वारा उत्पादित " एवियेशन टर्बाइन फ्यूल केरोसिन टाइप (के-50)" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-876, दिनांक 25 अप्रैल 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 876 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-876/5आर, दिनांक 07 जून 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

*This is to state that the "Aviation Turbine Fuel Kerosene Type (K-50)" produced by M/s Indian Oil Corporation Ltd., G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East), Mumbai - 400 051, at their Panipat Refinery, Panipat - 132 140 was issued with Type Approval No.: 876, vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-876, dated: 25<sup>th</sup> April 2000. This approval was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-876/5R, dated: 07<sup>th</sup> June 2013 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2023 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूरु-560017से अनुरोध करना होगा।

**पृष्ठ/Page 01 of 02**

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> July 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2023. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, DRDO, C/o Hindustan Aeronautics Limited, (F & F) Division, Bengaluru-560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-876, दिनांक 25 अप्रैल 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच(05)में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-876, dated: 25<sup>th</sup> April 2000 is amended as stated herewith:*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru -560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remains unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-876/6R

दिनांक / Date 20 July 2018

फैक्ससं / Fax No: 080-25230856





पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)